यह निरीक्षण प्रतिवेदन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चम्पावत द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चम्पावत के माह 12/2013 से 04/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रितांशु कुमार श्रीवास्तव, सुश्री रेखा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17.05.2017 से 20.05.2017 तक पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री दयाशंकर, व.ले.प. एवं श्री आनन्द कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 20.12.2013 से 26.12.2013 पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2008 से 11/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2013 से 04/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (I) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रा. अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	42.42	41.91	57.72	57.68		.54
2015-16	-	-	46.64	43.84	56.08	53.11		5.75
2016-17	-	-	80.11	64.31	53.30	51.84		17.24

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय आधिक्य (+)	बचत (-)

(iii) इकाई को बजट आवंटन निदेशक जनजाति कल्याण (स्रोत्र बताया जाए) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना को सम्मिलित करते हे इकाई सी श्रेणी की है।

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चम्पावत को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चम्पावत की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चम्पावत का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चम्पावत के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा ..... लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-01- छात्रवृत्ति ₹ 20,724 एवं जनरेटर फण्ड में ₹ 1,59,272 की धनराशि अवरूद्ध रखे जाने का प्रकरण।

(1) छात्रवृत्ति वह धनराशि है जो सरकार द्वारा OBC, SC, ST छात्रों/छात्राओं को प्रदान की जाती है। वर्ष 2013-14 से छात्रवृत्ति Online दी जानी शुरू हुई है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चम्पावत के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ₹ 20,724 की धनराशि खाते में अवरूद्ध पड़ी हुई है। इस धनराशि पर ब्याज भी अर्जित हो रहा है। चूँकि यह धनराशि सरकार की है। अतः प्रयुक्त न होने पर इसे सरकार को Surrender किया जाना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इस पर आपत्ति उठाए जाने पर महाविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में निदेशालय से दिशा-निर्देश प्राप्त कर उचित कार्यवाही की जाएगी। अतः धनराशि ₹ 20,724 का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

(2) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चम्पावत के अभिलेखों की जाँच में पाय गया कि महाविद्यालय में जनरेटर भी है एवं जनरेटर फण्ड भी। जनरेटर की लॉग बुक अभिलेखों की जाँच में नहीं पायी गयी। जाँच में यह भी पाया गया कि ₹ 1,59,272 लाख की धनराशि इस फण्ड में पड़ी हुई है, जिसका प्रयोग जनरेटर के लिए न करके अन्य मदों में अग्रिम देकर समायोजन किया जाता है। अन्य मदों हेतु अग्रिम देकर समायोजन किया जाना नियम विरूद्ध है। इस संबंध में महाविद्यालय ने स्पष्ट किया कि चूँकि अन्य मदों में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण इस मद से व्यय करके समायोजन कर लिया गया है।

अतः ₹ 1,59,272 जनरेटर फण्ड का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-**III**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या	**STAN**
----------शून्य----------			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
----------शून्य----------				

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चम्पावत तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(I) शून्य

3. सतत् अनियमितताएं

(I) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.		
2.		

(V) लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चम्पावत को इस आशय से प्रेषित किया गया कि वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.